



कार्यालय, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.)



E-mail - dean-gmcshahdol@mp.gov.in,
Website - WWW.GMC SHAHDOL.ORG,

Office No. :- 07652-243000
Fax No.:- 07652 - 243222

कमांक/स्था./शा.चि.म.वि./2021/

शहडोल, दिनांक/..../2021

आदेश

कार्यालयीन विज्ञप्ति क्रमांक/1455/स्वशासी/स्था./एम.पी./2021 शहडोल दिनांक 22.05.2021 के तहत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल में पैयामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु एम.पी.ऑनलाइन द्वारा आयोजित परीक्षा दिनांक 18.07.2021 के अनुक्रम में जारी परिणाम दिनांक 23.08.2021 के अनुसार श्रेणी एवं प्रवर्ग प्रथम प्रावधित चयन सूची में अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों के परीक्षण उपरांत पात्र पाये गये उम्मीदवारों को प्रावीण्यता क्रम में चयनित करते हुये लैब अटेंडेंट के पद पर वेतनमान रुपये 4440-7440+1300 के तत्स्थानी पुनरीक्षित सातवें वेतन के लेवल-1 में न्यूनतम वेतन रुपये - 15500/- प्रति माह तथा शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ते के साथ एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन अस्थाई नियुक्ति प्रदान कर स्वशासी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल में पदस्थ किया जाता है।

सीधी भर्ती पात्र लैब अटेंडेंट की सूची

स.क्र.	उम्मीदवार का नाम एवं पिता/पति का नाम	पता	चयनित श्रेणी (संवर्ग)
1	दीप्ति खरे पिता/पति - श्री विमल खरे	वार्ड नं. 5, निगम कॉलोनी पाली रोड सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) पिन कोड-484001 मो0 नं0- 9174119663	अनारक्षित (ओपन)
2	अंजली मिश्रा पिता/पति - श्री गंगेश मिश्रा	ग्राम कोठी, पो0 खौर तह0 हुजूर जिला - रीवा (म.प्र.) मो.नं.- 6263896297	अनारक्षित (ओपन)
3	रुद्र प्रताप सिंह पिता - श्री रविन्द्र सिंह	पता- गोवर्धन कॉलोनी, गली नं. 3 गोला का मंदिर गिर्द ग्वालियर (म.प्र.)	अनारक्षित (ओपन)
4	रेणु सिंह पति/पति- श्री पुष्पेन्द्र सिंह ठाकुर	पता- चौपडा मंदिर, वृन्दावन वार्ड सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.) पिन कोड - 470001 मो0नं0- 8827707876	अनारक्षित (महिला)
5	समीक्षा तिवारी पिता/पति - श्री राजेश्वर तिवारी	ग्राम सोनौर, पो. रुपौली, तह. हुजूर, जिला - रीवा (म.प्र.) मो0नं0- 9752756831	अनारक्षित (महिला)
6	सौरभ पटेल पिता - श्री राजकुमार पटेल	मौ शारदा नगर, करमेटा जबलपुर (म.प्र.) मो0 नं0- 9713904183	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओपन)
7	रुपेश सिंह बलिहार पिता- श्री अर्जुन सिंह बलिहार	ग्राम कस्बा-भडूस, तहसील एवं जिला बैतूल पिन कोड - 460001 मो0नं0 - 8370088839	आर्थिक रूप से कमजोर (ओपन)
8	नीरज तिवारी पिता - श्री त्रिभुवन प्रसाद तिवारी	ग्राम- जियैहा पो. कोटा, तहसील-जवा जिला - रीवा (म0प्र0), मो.नं.- 808597894	आर्थिक रूप से कमजोर (ओपन)
9	चन्द्र प्रकाश कबीर पंथी पिता - श्री महेश प्रसाद कबीर पंथी	क्वा. नं. SB/3 स्टॉफ कॉलोनी अमलाई पो0 अमलाई कॉलरी, जिला-अनूपपुर (म0प्र0) पिन कोड- 484116, मो0नं0- 9685338768	अनु. जाति (ओपन)

10	आशीष सागर पिता - श्री दिनेश कुमार साकेत	खैरा नई बस्ती, वार्ड नं. 4 पो. ए.जी. कॉलेज रोड (म.प्र.) पिन- 486001 मो0नं0- 7389434860	अनु. जाति (ओपन)
11	हेमंत कुमार बारसिया पिता - श्री बालकराम बारसिया	पता- पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर, क्वाटर नं. एफ01 सिवनी, अकबर वार्ड, तह. सिवनी, जिला-सिवनी (म0प्र0) मो0नं0- 8989490029	अनु. जाति (ओपन)
12	हेमलता अहिरवार पिता/पति - श्री राधेश्याम अहिरवार	मकान नं0 47, गली नं0 03, कैची छेला भोपाल (म.प्र.) मो0नं0 - 8103129424	अनु. जाति (महिला)
13	मनोज कुमार तिवारी पिता - श्री सुधीर प्रसाद तिवारी	104 परसावाड़ा कालोनी, 80 LIC धनवंतरी नगर जबलपुर, जिला जबलपुर पिन कोड-481003, मो. नं.- 9589423148	भूतपूर्व सैनिक (अनारक्षित ओपन)
14	अमित सेन पिता - श्री मोहनलाल सेन	ग्राम गहरा, तहसील पन्ना, जिला - पन्ना, पिन कोड- 488001 मो0 नं0- 7000977930	दिव्यांगजन (अन्य पिछड़ा वर्ग)

नियुक्ति की शर्तें:-

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के अंदर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन (कार्यभार ग्रहण) करना अनिवार्य होगा अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. स्वयं के व्यय पर स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि, स्टायपेंड के रूप में देय होगी।
6. आपकी सेवायें किसी भी समय एक पक्ष द्वारा 01 माह का नोटिस देकर या उसके एवज में 01 माह का अग्रिम वेतन तथा भत्ता देकर समाप्त की जा सकेगी। संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह तक का नोटिस देकर या पूर्वानुमति उपरांत 01 माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत 01 माह के वेतन तथा भत्ते के बराबर की राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व के बकाया कि भांति वसूली योग्य होगी।
7. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है।
8. नियुक्त व्यक्ति म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं " म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय आदर्श सेवा नियम, 2018" के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
10. नियुक्त व्यक्ति को रु. 50/- के स्टाम्प में उपस्थित प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सही है यदि जानकारी गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी स्वयं की होगी।
11. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वेरीफिकेशन की प्रत्याशा में की जाती है, यदि भविष्य में पुलिस वेरीफिकेशन के पश्चात् प्रतिकूल तथ्य प्राप्त होने पर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

12. आपकी नियुक्ति इस संस्था की सेवा शर्तों के अधीन है। संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकती है तथा आपकी सेवायें संस्था की किसी भी विभाग में ली जा सकती हैं।
13. पूर्व से अन्यत्र शासकीय/अर्धशासकीय संस्थान में सेवारत नियुक्त व्यक्ति को उपस्थिति के समय-पूर्व नियोक्ता द्वारा स्वीकृति त्याग पत्र अथवा सेवारत न होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
14. नियुक्त उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि में अन्यत्र आवेदन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देय नहीं होगा।
15. किसी भी राजनैतिक एवं विवादित गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, यदि यह पाया जाता है कि आप किसी विवादित अथवा किसी भी अवधित गतिविधि में लिप्त हैं तब अधिष्ठाता को आपकी नियुक्ति निरस्त करने का अधिकार होगा। जिसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. आपके कार्य का मूल्यांकन प्रत्येक 03 माह में किया जावेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर आपकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।
17. सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति के बिना आप अवकाश पर नहीं जा सकेंगे।
18. म.प्र. शासन गृह विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3597/2009/दो/सी-1 दिनांक 26.12.2010 द्वारा प्रदेश के सभी अस्पतालों तथा प्रदेश के सभी स्तरों के समस्त शासीय चिकित्सालयों/औषधालयों/स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं को अत्यावश्यक घोषित किया गया है। अतः इनसे जुड़ा कोई भी अमला अपनी सेवायें देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि कोई सेवक अत्यावश्यक सेवा को करने से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध म0प्र0 अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण (एस्मा) अधिनियम 1979 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
19. चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति में म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) तथा महिलाओं के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

पू.कमांक/स्था./शा.चि.म.वि./2021/.....

शहडोल, दिनांक 27/9/2021

प्रतिलिपि :- की ओर वास्ते सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल म0प्र0।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा भोपाल म0प्र0।
3. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. आयुक्त, शहडोल संभाग शहडोल एवं अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
5. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र.।
6. स्थानीय लेखा-शाखा, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म0प्र0।
7. संबंधित की ओर भेज कर लेख है कि, कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु0 4/- ट्रेजरी चालान हेड- 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(डॉ. मिलिन्द शिरालकर)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)